

फा.सं.1(2)/2012-सामान्य  
भारत सरकार  
संसदीय कार्य मंत्रालय

90, संसद भवन,  
नई दिल्ली।

दिनांक: 12.10.2012

सेवा में

-----  
-----  
-----

विषय:- डी एल वाई कार को भाड़े पर लेना।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यालय उपयोग तथा मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों द्वारा उपयोग के लिए निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार डी एल वाई/डी एल जेड कार भाड़े पर लेने का प्रस्ताव है:-

- (i) भाड़े पर दी जाने वाली कार साफ-सुथरे सीट कवरों सहित अच्छी चालू हालत में होनी चाहिए। कार उपलब्ध कराने वाली एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन और ड्राइवर मोटर वाहन अधिनियम और अन्य सभी ट्रैफिक विनियमों के सभी उपबंधों का पालन करते हों।
- (ii) कार के ड्राइवर को अच्छा अनुभव, दिल्ली की सड़कों का पूरा भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए और उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे आज्ञापालक और व्यवहार कुशल हों।
- (iii) यथासंभव, एक ही कार को तैनात किया जाएगा और बिना पूर्व सूचना के ड्राइवर को नहीं बदला जाएगा।
- (iv) एजेंसी इस अवस्था में होनी चाहिए कि वह मंत्रालय की अतिरिक्त कारों की जरूरत के लिए अल्पसूचना मिलने पर व्यवस्था कर सके।
- (v) भाड़े पर दी गई कार को साधारणतः सरकारी प्रयोग के लिए मंत्रालय में कार्यदिवसों पर अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक सप्ताह प्रातः 8.00 बजे से सायं 6.30 बजे के दौरान न केवल मौजूद रहना होगा बल्कि अवकाश वाले दिन भी जरूरत पड़ने पर मौजूद रहना होगा।
- (vi) इस अवधि के दौरान, कार औसतन करीब 80 कि.मी. प्रतिदिन चल सकती है।

(vii) इस मंत्रालय की स्पष्ट सहमति के बिना यदि ठेकेदार बीच में ही ठेके से मुकर जाता है तो ऐसी स्थिति में वह ठेके की निर्धारित दरों की तुलना में उन ऊंची दरों को देने के लिए जिम्मेदार होगा, जोकि ठेके की बची हुई अवधि के दौरान इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा परिवहन के अन्य साधनों के प्रयोग पर खर्च की जाएगी। साथ ही उस महीने के बिल की राशि भी ज़ब्त कर ली जाएगी।

(viii) ठेके से मुकरने पर ठेकेदार को मंत्रालय के साथ भविष्य में किए जाने वाले किसी भी लेनदेन से वर्जित कर दिया जाएगा।

(ix) यदि एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो इस मंत्रालय के पास किसी भी समय बिना कोई कारण बताए ठेके को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(x) भाड़ा प्रभार का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। वाहनों के उपयोग के लिए बिल [यूटी स्लिप/लॉग बुक सहित प्रत्येक पूर्ण मास के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(xi) जबकि विभाग को सामान्यतः पैरा (v) में उल्लिखित समय के दौरान कार्य दिवसों पर इन कारों की आवश्यकता होगी, परन्तु ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जब कार की आवश्यकता छुट्टी के दिनों में और इस समय से अलग समय में होती हैं। अतः बोलीदाताओं से अनुरोध है कि अपनी दरें निम्नलिखित तरीके से बताएं :-

- (i) भाड़ा प्रभार प्रतिदिन 8 घंटे और 80 कि.मी. के लिए प्रस्तुत किया जाए।
- (ii) ऊपर उल्लिखित सामान्य समय से अधिक की तैनाती के लिए प्रति घंटा/कि.मी. वसूले जाने वाले प्रभार की दरें।

2. कोटेशनस सीलबंद लिफाफे में, जिस पर "टैक्सी सर्विस को भाड़े पर लेने के लिए करार हेतु कोटेशनस" लिखा हो, और "निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय, कमरा न. 86-बी, संसद भवन, नई दिल्ली -110001" को संबोधित हो 26.10.201 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस मंत्रालय में पहुंच जाने चाहिए और जिस पर यह भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि इस कार्य उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें उन्हें पूरी तरह स्वीकार्य हैं। निर्धारित तारीख की समाप्ति के बाद और उचित सहायक कागजातों के बिना प्राप्त होने वाली कोटेशनस को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय को बिना कोई कारण बताए ठेके को अस्वीकृत करने/किसी को भी स्वीकार करने/सभी को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(सुमन सुचिता बारा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:- एन आई सी सैल को मंत्रालय की वैबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए।

प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके अनुमोदित सेवा प्रदानकर्ताओं में व्यापक प्रचार हेतु भी प्रेषित